| दिनांक 18.10.2024 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 26/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस स्मृति दिवस–2024

कर्तव्यपालन के दौरान संवेदनशीलता, समर्पण और त्याग का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले शहीद पुलिस कार्मिकों की स्मृति में प्रतिवर्ष **21 अक्टूबर** पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम उन वीर शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति दी है।

यह शौर्य गाथा 65 वर्ष पुरानी है जब 21 अक्टूबर 1959 को भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित रायफलों व मोर्टारों से लैस चीनी सैनिकों ने छलपूर्वक हमारे क्षेत्र में एम्बुश लगाकर अचानक उन पर हमला कर दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये साधारण शस्त्रों के बावजूद चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए केन्द्रीय पुलिस बल के इन बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियॉ दी थी। इन्हीं वीर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कर्तव्यपथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परम्परा प्रचलित है।

हमारे पुलिस कर्मियों का बलिदान उनकी सच्ची समर्पण भावना एवं कर्तव्य–परायणता का द्योतक है तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है। वीर पुलिस कर्मियों का त्याग एवं बलिदान देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण बनकर हमारी भावी पीढ़ी को सदैव कर्तव्य–परायणता के मार्ग पर निर्भीकता के साथ अनुगमन की प्रेरणा देता रहेगा।

**पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन लखनऊ में किया जायेगा। इस अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी तथा शहीदों के परिवारिजनों को सम्मानित किया जायेगा।**

सम्पूर्ण भारतवर्ष में 01 सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक कर्तव्य की वेदी पर 214 पुलिसजन ने अपने प्राणों को न्योछावर किया। इनमें उत्तर प्रदेश के 02 पुलिसजन कमशः आरक्षी रोहित कुमार जनपद फतेहगढ़ व आरक्षी सचिन राठी जनपद कन्नौज सम्मिलित हैं। कर्तव्य पालन में आत्म बलिदान करने वाले इन वीर शहीदों के पराक्रम से प्रदेश का सम्पूर्ण पुलिस बल गौरवान्वित है।

**दिनांक 01.09.2023 से 31.08.2024 तक की अवधि में कर्तव्यपथ पर वीरगति को प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की शौर्य गाथा**

**1. स्व० रोहित कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस–212261389, जनपद फतेहगढ़।**

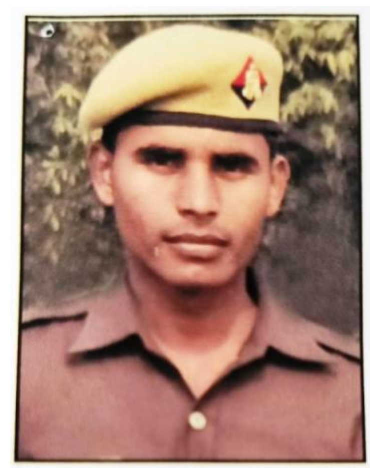

स्व0 रोहित कुमार

दिनांकः 08.06.2024 को पीआरओ द्वारा प्रभारी निरीक्षक श्री आमोद कुमार सिंह, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़ को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि ग्राम नगला चन्दन में खनन हो रहा है जिस पर प्रभारी निरीक्षक श्री आमोद कुमार सिंह द्वारा जरिये टेलीफोन पूर्व में रवाना टीम गश्त अन्दर थाना क्षेत्र उ०नि० संतोष कुमार मय हमराह का० 605 ना०पु० रोहित कुमार व हो०गा० 1075 विजय सिंह, चालक हे०का० 302 शैलेन्द्र कुमार को उपरोक्त सूचना से अवगत कराते हुए खनन रोकने का निर्देश दिया गया, जिस पर उ०नि० संतोष कुमार अपनी टीम को लेकर घटना स्थल ग्राम चन्दन नगला के पास पहुंचे, टीम के आरक्षी 605 रोहित कुमार द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करते हुये अवैध खनन को रोकने के प्रयास में संदिग्ध आयशर ट्रैक्टर रंग सिल्वर रजि० नं० UP 76 AE 7331 मय ट्राली व जे०सी०बी० नम्बर UP 74 AT 0594 को रोकने का प्रयास किया गया। यह अवैध खनन के जरिये मिट्टी चोरी कर ले जा रहे थे। उनके पीछे एक व्यक्ति भी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पैशन प्रो नं0 UP 84 H 4591 से चल रहा था। आरक्षी 605 रोहित कुमार द्वारा ट्रैक्टर ट्राली को रोकने पर ट्रैक्टर चालक व मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा एक राय होकर तेजी से ट्रैक्टर से कट मार दिया जिससे ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर होने के कारण उक्त आरक्षी बुरी तरह घायल हो गया। आरक्षी

को घायल अवस्था में लोहिया अस्पताल, फर्रूखाबाद ले जाया गया, जहां से आरक्षी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आरक्षी के बेहतर इलाज के लिये सिटी अस्पताल, आवास विकास कॉलोनी, फर्रूखाबाद ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान दिनाक: 09.06.2024 को समय 06:30 बजे आरक्षी रोहित कुमार की मृत्यु हो गयी।

इस प्रकार आरक्षी रोहित कुमार द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये अपने प्राणों की आहुति दी गयी।

**2. स्व० सचिन राठी, आरक्षी नागरिक पुलिस–192830951, जनपद कन्नौज।**

स्व0 सचिन राठी

दिनांक: 25.12.2023 को प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज मय हमराह फोर्स उ०नि० श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राहुल शर्मा व मुख्य आरक्षी श्री संदीप सिंह गौतम, राजकुमार, महेन्द्र एवं मुख्य आरक्षी चालक श्री चक्र सुदर्शन व अन्य कर्मी मय सरकारी गाड़ी नम्बर– UP 74 G 0273 के साथ अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ मुनुआ पुत्र रामनरेश यादव, निवासी ग्राम धरनीधरपुर, नगरिया, थाना–विशुनगढ़, जनपद–कन्नौज का माननीय न्यायालय स्पेशल जज, कन्नौज द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र व धारा–82 सीआरपीसी सम्बन्धित अपराध संख्या–1533/2009 धारा–21/22 एनडीपीएस एक्ट, मु०अ०सं०–62/2011 चालानी थाना छिबरामऊ, जनपद–कन्नौज की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना क्षेत्र विशुनगढ़ आये। थाना विशुनगढ़ से आरक्षी 431 ना०पु० सचिन राठी, आरक्षी 401 ना०पु० नीरज कुमार मय ईगल मोबाईल UP 74 G 0299 के, जो पूर्व से क्षेत्र में रवाना थे, को तलब कर थाना विशुनगढ़ से रवाना होकर ग्राम धरनीधरपुर, नगरिया पहुँचकर अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ मुनुआ पुत्र राम नरेश यादव निवासी–उपरोक्त के घर समय 04:30 बजे दबिश दी गयी, तो अभियुक्त एवं उसका बेटा टिंकू उर्फ अभयराज व अभियुक्त की पत्नी श्रीमती श्यामा देवी अपने घर से बन्दूक व तमन्चे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से यह कहते हुए कि आज बचकर नहीं जा पाओगे, अन्धाधुन्ध फायरिंग करने लगे। इसी बीच एक गोली आरक्षी 431 ना०पु०

सचिन राठी की जांघ में लग गई, जो मौके पर ही गिर गये। यह देखकर आरक्षी ना०पु० सचिन राठी को उ०नि० श्री प्रमोद तिवारी व आरक्षी 401 ना०पु० नीरज कुमार व मुख्य आरक्षी राजकुमार के साथ चार पहिया वाहन में बिठाकर छिबरामऊ में 100 शैय्या अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा घायल आरक्षी 431 ना०पु० सचिन राठी की गम्भीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर हायर सेन्टर रीजेन्सी अस्पताल, कानपुर नगर रिफर किया गया तथा चौकी प्रभारी 100 शैय्या के उपनिरीक्षक ना०पु० श्री राजेश रावत को घायल आरक्षी के साथ इलाज में मदद हेतु भेजा गया। रीजेन्सी अस्पताल, कानपुर नगर में इलाज के दौरान दिनांक: 26.12.2023 को आरक्षी सचिन राठी की मृत्यु हो गयी।

इस प्रकार आरक्षी सचिन राठी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये अपने प्राणों की आहुति दी गयी।

| |
|---|
| दिनांक 18.10.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 27/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>जनपद बलरामपुर/थाना कोतवाली भिनगा</u>**

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 17.10.2024 को थाना कोतवाली भिनगा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंटा तिराहा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना महाराजगंज तरई पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली भिनगा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1—सोनू निवासी दिनामगढ़ थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

**बरामदगी**

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

## जनपद बरेली/थाना बहेड़ी

- **10—10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.10.2024 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे फाटक के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—अलीम 2—इश्तकार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बहेड़ी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10—10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—अलीम निवासी ग्राम जोखनपुर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

2—इश्तकार निवासी ग्राम जोखनपुर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

## जनपद कौशाम्बी/थाना करारी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.10.2024 को थाना करारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दरियापुर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त फैजान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—फैजान निवासी ग्राम रहीमपुर मौलानी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

## जनपद जौनपुर/थाना खेतासराय

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.10.2024 को थाना खेतासराय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेसो नदी पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–सन्तोष कुमार उर्फ दारा 2–शुभम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 40 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.10.2024 को थाना खेतासराय क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेतासराय पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खेतासराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सन्तोष कुमार उर्फ दारा निवासी कादनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2–शुभम निवासी कादनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी**

1–लूट के 02 लाख 40 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

## जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा/मिस कारतूस बरामद**

दिनांक 18.10.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरैया पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रोशन उर्फ हिमांशु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा/मिस कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, बाराबंकी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रोशन उर्फ हिमांशु निवासी ग्राम गहजी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा/मिस कारतूस।

## जनपद बागपत/थाना खेकडा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 18.10.2024 को थाना खेकडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम

पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–चाँद 2–सद्दाम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–चाँद निवासी नई अशोक नगर थाना अशोक नगर दिल्ली।

2–सद्दाम निवासी जे0जे0 कॉलोनी थाना सेक्टर–20 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी**

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन आदि।

## जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 दो पहिया वाहन**
- **05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 18.10.2024 को थाना निगोही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गिरगिचा नहर पटरी के पास से 05 अभियुक्तों 1–विमल 2–शोभित 3–रामबहादुर 4–अभय 5–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 दो पहिया वाहन, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–विमल निवासी रामपुर बसन्त थाना करेली जनपद पीलीभीत, हालपता गौटिया कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2–शोभित निवासी गिरगिचा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

3–रामबहादुर निवासी गिरगिचा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

4–अभय निवासी गिरगिचा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

5–राहुल निवासी कजरीनुरपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

**बरामदगी**

1–चोरी की 08 दो पहिया वाहन।

2–05 मोबाइल फोन आदि।

## कमिश्नरेट आगरा/थाना ताजगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 दो पहिया वाहन**
- **नगद रूपये, 10 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 18.10.2024 को थाना ताजगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर होटल आईकन चौराहे के पास से अभियुक्त फरदीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 दो पहिया वाहन, नगद रूपये, 10 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–फरदीन निवासी धनौती थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा।

**बरामदगी**

1–चोरी की 06 दो पहिया वाहन।

2–नगद रूपये, 10 मोबाइल फोन।

## जनपद गाजीपुर/थाना जंगीपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 1182 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब**
- **05 चार पहिया वाहन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.10.2024 को थाना जंगीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अरशदपुर तिराहा पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–रंजित कुमार 2–राजेश 3–आकाश कुमार 4–अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 1182 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 05 चार पहिया वाहन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जंगीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रंजित कुमार निवासी अखण्डपुर थाना दानापुर जनपद पटना बिहार।

2–राजेश निवासी ग्राम गुल्लीतार थाना पालीगंज जनपद पटना बिहार।

3–आकाश कुमार निवासी सुलतानपुर थाना दानापुर जनपद पटना बिहार।

4–अमित कुमार निवासी बबुरा बिन्द गांवा थाना कोईलवर जनपद आरा भोजपुर बिहार।

**बरामदगी**

1–लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 1182 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब।

2–05 चार पहिया वाहन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

➢ **जनपद गोण्डा/थाना मोतीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2)/149/147/148/

323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—संतराम 2—खुनखुन 3—गुरूदेव 4—नौबत 5—हवलदार 6—धर्म बहादुर को सश्रम आजीवन कारावास एवं अभियुक्त 7—दूधनाथ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—भग्गू 2—पल्टू को धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 06—06 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3—सोहन को धारा 302/34/323 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना बारासगवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना बारासगवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—रामप्रताप उर्फ छेद्दू 2—सिद्धराज 3—रणवीर को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## एसटीएफ—अन्तर्राज्यीय स्तर पर गौ—तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं जनपद कानपुर से रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वकील गिरफ्तार।

दिनांक 17—10—2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना अरौल, जनपद कानपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित एवं रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वकील पुत्र हनीफ को जनपद कानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–**

1. वकील पुत्र हनीफ, नि0 ग्राम धरावा, थाना कुड़वार, जनपद सुलतानपुर।

**बरामदगीः–**

1. 01 अदद मोबाइल फोन।
2. 450 रूपये नकद।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–**

गांगूपुर सर्विस लाइन, रेलवे क्रासिंग के पास, थाना क्षेत्र अरौल, जनपद कानपुर दिनांकः 17–10–2024, समय 19.30 बजे।

विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिय जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 17–10–2024 को उप निरीक्षक श्री षिव कुमार अवस्थी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी अंजनी यादव, मुख्य आरक्षी संतोष सिंह, मुख्य आरक्षी विमलेन्द्र मोहन मिश्र, मुख्य आरक्षी रजनीष सिंह, मुख्य आरक्षी नीरज सिंह की टीम जनपद कानपुर में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देष्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान थाना अरौल, जनपद कानपुर कमिष्नरेट में पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2024 में वांछित रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त वकील पुत्र हनीफ के जनपद कानपुर से कन्नौज जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा गागूपुर सर्विस लाइन, रेलवे क्रासिंग के पास, थाना क्षेत्र अरौल, जनपद कानपुर पहॅुचकर उपरोक्त अभियुक्त को समय 19:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त वकील पुत्र हनीफ ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले काफी समय से गौ–वंषीय पषुओं की तस्करी का काम करता है। यह अपने साथियों के साथ

मिलकर उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों सहित अन्य प्रदेषों के भी गोवंषी पषुओं को खरीदकर बिहार, बंगाल आदि राज्यों में उसकी सप्लाई करता है। इसके पूर्व में भी गो तस्करी करने के आरोप में जनपद चंदौली एवं फतेहपुर से जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त वकील पुत्र हनीफ को थाना अरौल जनपद कानपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 120/2024, धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

**<u>अभियुक्त वकील पुत्र हनीफ उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास।</u>**

| क्र0 सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233/2015 | 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशुक्रूरता अधिनियम | ललौली | फतेहपुर |
| 2 | 199/2023 | 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशुक्रूरता अधिनियम व 429 भादवि | सैयदराजा | चंदौली |
| 3 | 228/2023 | 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट | सैयदराजा | चंदौली |
| 4 | 120/2024 | 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम | अरौल | कानपुर |

**<u>एसटीएफ–धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग के विरूद्ध थाना सुलतानपुर घोष, जनपद फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग में पिछले 08 वर्षों से वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्ता पूजा गिरफ्तार।</u>**

दिनांक 18–10–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2016 धारा 420/406/467/468/471/506 भादवि व मु0अ0सं0 291/2016 धारा 420/467/468/471/406/506/120बी भादवि में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्ता पूजा पत्नी राजेश मौर्या को जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण</u>:–**

पूजा पत्नी राजेश मौर्या निवासी ग्राम खजुरिहापुर थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।

**बरामदगीः–**

1. 01 अदद मोबाइल

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–**

म0नं0 एमएन 98बी मसवानपुर थाना क्षेत्र रावतपुर जनपद कानपुर नगर, दिनांक 18–10–2024, समय 12:20 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री विनय तिवारी, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, रोहित सिंह, सन्तोष कुमार व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद कानपुर नगर में आपराधिक अभिसूचना संकलन में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर से अपने पति के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने वाली पूजा मौर्या जिस पर रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित है, थाना क्षेत्र रावतपुर जनपद कानपुर नगर में कमरा लेकर रहती है। इस सूचना पर विश्वास कर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर अभियुक्ता पूजा मौर्या को म0नं0 एमएन 98बी मसवानपुर थाना क्षेत्र रावतपुर जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ता पूजा उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका मायका कानपुर नगर में है। वर्ष 2015 में ग्राम खजुरिहापुर थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर निवासी राजेश मौर्या के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति द्वारा आर0के0एम0 नाम से संचालित एनजीओ में सहयोग करने लगी तथा व्यक्तियों से भी बातचीत करके एनजीओ के सम्बन्ध में उनको जानकारी देने लगी। उक्त एनजीओ में

लगभग 05–06 हजार लोग काम कर रहे थे। कोचिंग पढाने वाले शिक्षकों को वेतन देने तथा बिजनेस करने के नाम पर व्यक्तियों को उनके पैसे दोगुना–तिगुना करने का लालच देकर उनसे करोड़ों रूपये की ठगी की गयी। इस धोखाधड़ी के सम्बन्ध में अभियुक्ता पूजा के विरूद्ध जनपद फतेहपुर के थाना सुलतानपुर घोष में 02 अभियुक्त पंजीकृत है तथा इसके पति के विरूद्ध जनपद फतेहपुर, प्रयागराज व कौशाम्बी के विभिन्न थानों में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता के पति राजेष मौर्या उर्फ राज सिंह को दिनांक 03–07–2024 को एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज द्वारा फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता पूजा उपरोक्त को थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–82/2016 धारा–420/406/467/468/471/506 भादवि व मु0अ0सं0–291/2016 धारा–420/467/468/471/406/506/120बी भादवि में थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर पर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

––––––